संख्या-118/2016/2417/सैंतीस-2-2016-1(35)/2014

प्रेषक,

दया शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-07 दिसम्बर, 2016

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना-आर.आई.डी.एफ. (रा.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-304/सा0-1/एक्स-120(189)/आरआईडीएफ-21/पा.क्ली./2015-16, दिनांक-26.10.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-'4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-14-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (आर.आई.डी.एफ.) (राज्य योजना)-24-वृहत् निर्माण कार्य' में प्राविधानित धनराशि रू0-5108.40 लाख (रूपये इक्यावन करोड़ आठ लाख चालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न विवरणानुसार 08 पशु चिकित्सा पालीक्लीनिकों के निर्माण हेतु अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैंः-

क्र0	मण्डल का नाम	पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना हेतु संस्था/स्थल का नाम	धनराशि (हजार में)
1-	अलीगढ़	पशुपालन विभाग, मण्डल-मुख्यालय परिसर	64906
2-	आगरा	कैडिल फार्म, बाईपुर-सिकन्दरा	64906
3-	झांसी	राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, भरारी-झांसी	64906
4-	आजमगढ़	राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, सिधारी-आजमगढ़	64906
5-	मुरादाबाद	पशुपालन विभाग, मण्डल मुख्यालय परिसर, बंगला गांव	64906
6-	फैजाबाद	राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, फैजाबाद	64906
7-	चित्रकूट-धाम	राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, बांदा	64906
8-	वाराणसी	आराजी लाइन प्रक्षेत्र, वाराणसी	56498
योग-			**510840**

(रूपये इक्यावन करोड़ आठ लाख चालीस हजार मात्र)

(1) प्रश्नगत पशु चिकित्सा पालीक्लीनिकों के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-1599/सैंतीस-2-2016-1(40)/2015, दिनांक-21.10.2016 द्वारा नामित कार्यदायी संस्था 'उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0 (यू.पी.पी.सी.एल.)' द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य की गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 एवं सम्बन्धित अधिकारियों का होगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में बैंक/डाकघर/पी.एल.ए. में नहीं रखा जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक-14.06.2016 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-1323/सैंतीस-2-2016-1(35)/14, दिनांक-24.06.2016 द्वारा निर्गत आदेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक के निर्माण हेतु निर्विवाद भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही सम्बन्धित पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की धनराशि आहरित की जायेगी।

-2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। निर्धारित मानक मद से इतर अन्य किसी मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता होगी।

(6) निर्माण कार्य हेतु समय-समय पर निर्गत संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। कार्यदायी संस्था को धनराशि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

(7) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(10) प्रायोजना में प्रस्तावित कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, इसे सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।

(11) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-'4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-14-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (आर.आई.डी.एफ.) (राज्य योजना)-24-वृहत् निर्माण कार्य' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-यू.ओ.-ई-2-1064/दस-2016, दिनांक-05.12.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

पृ0सं0-118/2016/2417(1)/सैंतीस-2-2016- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (रो.नि.), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3 ।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in